राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 421/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
सुरेन्द्र सिंह बी-38, नवदीप विहार, 200 फीट बाईपास, लालरपुरा जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 14-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से डॉ. विजय सिंघल, मुख्य पर्यावरण अभियन्ता उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-05-2017 के द्वारा प्रदुषण नियंत्रण मण्डल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-12-2015 की प्रति अपीलार्थी द्वारा चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विभाग के पत्र दिनांक 30-05-2017, 09-06-2917 तथा 03-07-2017 के द्वारा सूचना उपलब्ध करादी गई है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 07-07-2017 द्वारा अपीलार्थी को आवेदन में उल्लेखित सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये जिसके अनुसरण में दिनांक 31-07-2017 को सूचना उपलब्ध करादी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 07-02-2018 प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया कि अपीलार्थी को वांछित सूचना विभिन्न दिनांकों को उपलब्ध करादी गई है। जिसका उल्लेख अपीलोत्तर में किया गया है तथा इसकी प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।
7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त